[redacted]

समक्ष :- सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

राजस्व पुनरीक्षण कमांक:- R-758-I/17 प्रस्तुत दिनांक 27/01/2017

श्रीमंत सेठ गोपालसाव पूरनसाव

दिगम्बर जैन परमार्थिक ट्रस्ट सिवनी,

द्वारा सचिव श्री प्रमोद जैन, ———————— आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

— विरूद्ध—

मध्यप्रदेश शासन

द्वारा— कलेक्टर, कलेक्ट्रेट सिवनी,

तहसील व जिला सिवनी ———————— अनावेदक/उत्तरवादी

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्य—प्रदेश भू—राजस्व संहिता।

जिला कलेक्टर सिवनी द्वारा विविध प्रकरण कमांक 68/बी—121/2014—2015 में पारित आदेश दिनांक 29.12.2016 जिसके द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी सिवनी के निर्देश दिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर व्यवसाय उद्देश्यों से किसी भी प्रकार की निर्माण अनुमति कनहीं दी जावे से, व्यथित हो, आवेदक निम्नलिखित तथ्यों और आधार पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है।

।। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में ।।

1— शहर सिवनी तहसील तथा जिला सिवनी में स्थित सिविल स्टेशन वार्ड ब्लाक नं0 6, प्लाट नंबर 10 क्षेत्रफल 411866 वर्गफुट नजूल प्लाट का स्थायी पट्टेदार आवेदक ट्रस्ट है। उक्त नजूल प्लाट में से 22658 वर्गफुट नजूल प्लाट व्यवसायिक शॉपिंग कॉम्पलेक्स प्रयोजनार्थ दिनांक 31.03.2025 तक स्थायी पट्टे पर आवेदक ट्रस्ट को नियमानुसार प्रदान किया गया जिसका बटांक 10/2 किया गया और शेष नजूल प्लाट रकबा 389208.83 वर्गफुट नजूल प्लाट नंबर 10/1 जिसमें से रकबा 21200 वर्गफुट प्लाट व्यवसायिक शॉपिंग कॉम्पलेक्स प्रयोजनार्थ नंबर 10/2 रकबा 22558 वर्गफुट नजूल प्लाट व्यवसायिक प्रयोजनार्थ दिनांक 31.03.2025 तक स्थायी पट्टे पर, आवेदक ट्रट को नियमानुसार प्रदान किया गया है। इस भूमि पर एक बंगला भी निर्मित है जिसमें राज्य सरकार पहले डिग्री कालेज संचालित करती थी।

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....

प्रकरण क्रमांक 758-एक/17 निगरानी जिला सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ताक्षर
4-10-17	यह निगरानी कलेक्टर जिला सिवनी के प.क्र. 68 बी-21/ 14-15 में पारित आदेश दिनांक 29-12-16 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्कों पर विचार करने तथा प्रस्तुत अभिलेख के क्रम में कलेक्टर जिला सिवनी के आदेश दिनांक 29-12-16 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदक ट्रस्ट को नजूल ब्लाक नंबर 6 प्लाट नंबर 10/1, 10/2 कुल रकबा 3534 वर्गमीटर पर माननीय उच्च न्यायालय (डी0बी0) से रिट अपील क्रमांक 936/2011 में पारित आदेश दिनांक 14-9-2011 में विहित आदेश के हटकर अपर कलेक्टर सिवनी ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर निर्माण अनुज्ञा जारी कर दी थी, जिसके पुनरावलोकन बावत् शिकायती आवेदन संतोष पंजवानी, मनु सोनी, अभिषेक एंव अन्य पार्षदगण सिवनी द्वारा कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर से कलेक्टर सिवनी ने प्रकरण क्रमांक 68 बी-21/ 14-15 पंजीबद्ध करके एंव हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर आदेश दिनांक 29-12-16 पारित किया है जो माननीय उच्च न्यायालय (डी0बी0) से रिट अपील क्रमांक 936/2011 में पारित आदेश दिनांक 14-9-2011 में विहित आदेश के अनुरूप होकर आवेदक ट्रस्ट को उक्त भूमि पर शर्तों से हटकर व्यवसायिक निर्माण न किये जाने बावत् है। यदि आवेदक माननीय उच्च न्यायालय (डी0बी0) से रिट अपील क्रमांक 936/2011 में पारित आदेश दिनांक 14-9-2011 से दुखी है तब वह इस आदेश के विरूद्ध मान0 सर्वोच्च न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है, जिसके कारण कलेक्टर जिला सिवनी द्वारा प.क्र. 68 बी-21/ 14-15 में पारित आदेश दिनांक 29-12-16 हस्तक्षेप योग्य न होने से निगरानी अमान्य की जाती है। सदस्य	

जिसमें राज्य सरकार पहले डिग्री कालज संचालित करता था।